N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0115 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/06/2024 19:05 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 11/06/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:20 बजे **Time To (समय तक):** 20:30 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/06/2024 **Time (समय):** 18:30 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/06/2024 19:05:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 16 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** POLICE THANA HARMADA, JAIPUR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAJVEER SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHANI BANDALI, BANSUR, BANSUR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHANI BANDALI, BANSUR, BANSUR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SONURAM		पिता:FAKIRCHAND	1. ARAIYAWALI,HANUMANGADH, HANUMANGARGH,RAJASTHAN ,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि व डमी करेंसी	40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 7.6.2024 को समय 11.20 एएम पर श्रीमान भुपेन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी को जरिये फोन अवगत कराया गया कि परिवादी श्री राजेश द्वारा एसीबी में शिकायत की गई है। जिसमें ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी है। अतः आप परिवादी श्री राजेश के मोबाईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करें तथा आपके पास कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के श्री आलोक हैड कानि. 10 के साथ भिजवाया जा रहा है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री राजेश के उपरोक्त नम्बर पर सम्पर्क करने पर श्री राजेश द्वारा अभी स्वंय को चौमु में होना बताया तथा वहीं पर मिलना बताया। कुछ समय पश्चात श्री आलोक हैड कानि. कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के मन उप अधीक्षक पुलिस के पास पहुंचा। जहां से मन उप अधीक्षक पुलिस, श्री आलोक हैड कानि. 10 व श्री बंशीधर कानि. के सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर चौमु पहुंचा। जहां पर श्री राजेश एक अन्य व्यक्ति के साथ उपस्थित मिला। जहां पर श्री राजेश ने अपना व अपने साथ में खड़े व्यक्ति का परिचय श्री नरेन्द्र सिंह के रुप में कराया तथा साथ ही बताया उक्त मामले में मैं खुलकर सामने नहीं आना चाहता। इसलिए आगे की कार्यवाही श्री नरेन्द्र सिंह से करवाना सही रहेगा। जिस पर मैंने राजेश के पास खड़े व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह, जाति राजपुत, उम्र 28 वर्ष, निवासी ढ़ाणी बन्दाली, ग्राम रसनाली तहसील बानसुर जिला कोटपुतली बहरोड़, राज. के रुप में करवाया। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को मौके पर लिखकर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा श्रीमान अतिरिक्त/उप अधीक्षक पुलिस, नगर-प्रथम, जयपुर के नाम प्रार्थना-पत्र इस आशय का कि एक व्यक्ति विजय अग्रवाल जिसने कुछ साल पहले मेरे साला अजय सिंह राठौड़ से तथा कुछ अन्य लड़को से नौकरी लगाने का झांसा देते हुए करीब प्रत्येक से चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये ले लिये और उनकी कोई नौकरी नहीं लगवाई। जिस पर इस संबंध में पुलिस थाना प्रागपुरा, जयपुर में पिड़ित श्री आकाश ने मुकदमा नं 606/22 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवाया। जिस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, उल्टा दिनांक 19.05.2024 को श्री विजय अग्रवाल की पत्नी अनिता ने विजय अग्रवाल के अपहरण का झूंठा मुकदमा नं. 350/24 धारा 365, 384, 386 आईपीसी में पुलिस थाना हरमाड़ा में दर्ज करा दिया। जिसकी जांच सोनुराम पुलिस उप निरीक्षक के नाम हुई। जिन्होंने 01.06.2024 को अजय को उठा लिया और झूंठे ही गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ आकाश, मनोज, शंकर, रवि आदि को भी गिरफ्तार कर लिया तथा मुझे तथा राजेश को बोला की तुम लोग विजय अग्रवाल से उसके खिलाफ मुकदमा नं. 606/22 में दर्ज कार्यवाही में आपस में समझौता कर लो नहीं तो मैं अनुसंधान में और धारायें लगा दुंगा तथा मुकदमें में पटवारी पंकज सिंह व खुशीराम को भी फंसा दुंगा। इस मामले में राजेश का भाई मनोज भी गिरफ्तार है। सोनुराम अनुसंधान में अपराध की धारायें कम लगाने, 395 आईपीसी नहीं लगाने व जबरन विजय अग्रवाल से हरमाड़ा थाने का मुकदमें में राजीनामा करवाकर प्रागपुरा थाने का भी दबाव देकर राजीनामा करवाना चाह रहा है। वह हमसे गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों को पीसी के दौरान आराम से रखने, मारापिटी न करने, मुकदमें में जमानत कराने, सजा नहीं होने देने के नाम से स्वंय के लिये तथा ऊपर अधिकारियों तक रिश्वत राशि पहुंचाने के लिए प्रति गिरफ्तार व्यक्ति हमसे 50-50 हजार रुपये कुल 03 लाख रुपये 6 गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम से रिश्वत राशि मांग रहा है तथा जबरन पैरवी के लिए विक्रम वकील को प्रति व्यक्ति 20-20 हजार रुपये दिलाना चाहता है। आज ही थोड़ी देर पहले वह गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों को कोर्ट क्रम सं. 10 चौमु में पेश करने आया तभी वह उपरोक्त धमकियां देकर रिश्वती राशि की मांग कर रहा है। जिसे हम नहीं देना चाहते। रिश्वत के संबंध में वह मेरे से खुलकर बात करता है। मेरी तथा राजेश व मुकदमें में अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों की सोनुराम उप निरीक्षक से कोई उधार लेन-देन बकाया नहीं है और न ही कोई रंजिश है। मैं और राजेश उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। रिपोर्ट करता हुं, कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा लिखा जाना बताया तथा प्रार्थना पत्र के साथ एफआईआर सं. 350/24, थाना हरमाड़ा, जयपुर शहर (पश्चिम) की प्रति स्वंय की हस्ताक्षरशुदा पेश की, जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर सत्यापन करवाया जाना आवश्यक पाया। परिवादी को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं रनिंग नोट का अवलोकन कराया गया। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को मामले में मांग

सत्यापन कार्यवाही के लिए कहा तो परिवादी द्वारा बताया गया कि संदिग्ध आरोपी द्वारा करीब समय 05.00 पीएम पर हरमाड़ा थाने पर मिलने के लिए कहा है। जिस पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व सपरिवादी श्री राजेश को समय करीब 4.30 पीएम के आस-पास हरमाड़ा थाने के पास मिलने की हिदायत मुनासिब कर रुखशत कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन मय चालक के हरमाड़ा थाने की तरफ रवाना होकर थाने के पास पहुंचे। तत्पश्चात् समय करीब 4.30 पीएम पर हरमाड़ा थाने के पास पूर्व में तलबशुदा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह सपरिवादी श्री राजेश के साथ अपनी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिले। तत्पश्चात् श्री आलोक कुमार हैड कानि. के पास से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि परिवादी को समझाई जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया एसडी कार्ड 32 जीबी कम्पनी का डालकर दोनों का खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व श्री आलोक कुमार हैड कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के लिए हिदायत मुनासिब कर हरमाड़ा थाने के लिए रवाना किया गया तथा सपरिवादी श्री राजेश को संदिग्ध आरोपी से थोड़ा दूर अलग से खड़े रहने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् समय करीब 5.10 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व श्री आलोक कुमार हैड कानि. मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व में सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को पेश कर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने बताया कि सोनुराम थानेदारजी मेरे को हरमाड़ा थाने के बाहर ही मिल गया। जहां उन्होंने मुझसे बातचीत की तथा आज रात को मोबाईल पर सम्पर्क करने के लिए कहा है। इसी दौरान सपरिवादी श्री राजेश भी उपस्थित आया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना नहीं पाया गया। आईन्दा संदिग्ध से मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई जावेगी। मन उप अधीक्षक पुलिस हमराहीयान के मौके से रवाना होकर श्री बंशीधर कानि. को कलेक्ट्री सर्किल पर रुखसत करता हुआ ब्यूरो कार्यालय पहूंचा। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को जिसमें वार्ता रिकॉर्ड है, को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 8.6.2024 को समय करीब 8.17 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पूर्व निर्देशानुसार श्री आलोक कुमार हैड कानि. ने जरिये मोबाईल बताया कि मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मेरा व मैंने परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह का आपस में सम्पर्क होकर हम दोनो हरमाड़ा थाना से पहले पहूंचे। मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान श्री राजेश को आवश्यक कार्य होने के कारण वह उपस्थित नहीं रहा। हरमाड़ा थाने के पास परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को संदिग्ध आरोपी की मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने एवं मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी से वार्ता करने के लिए रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकीम हुआ। समय करीब 08.15 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह मेरे को थाने के पास मिला। जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर प्राप्त किया तथा परिवादी ने बताया है कि उसकी संदिग्ध आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने भी जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध आरोपी द्वारा मेरे से मुकदमा नं. 350/24 में अनुसंधान में और धारायें नहीं जोड़ने, धारायें कम लगाने, 395 आईपीसी नहीं लगाने, गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों को पीसी के दौरान आराम से रखने, मारापिटी न करने, मुकदमें में जमानत कराने, सजा नहीं होने देने के नाम से स्वंय के लिये तथा ऊपर अधिकारियों तक रिश्वत राशि पहुंचाने के लिए प्रति गिरफ्तार व्यक्ति 40-40 हजार रुपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की गई है तथा विजय अग्रवाल से समझौता कर मुकदमा रफा-दफा करने की कह रहा है। परिवादी को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण से संबंधित मोबाईल कॉल लॉग सुरक्षित रखने तथा रिश्वती राशि की शीघ्र व्यवस्था करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 10.6.2024 को समय करीब 4.40 पीएम पर कार्यालय में पूर्व से तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री राजीव चौधरी व श्री राकेश बैरवा व परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह भी उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत पुछा तो दोनों ने स्वैच्छा से अपनी-अपनी सहमती व्यक्त की। जिनको परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजीव चौधरी, श्री राकेश बैरवा व परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 4.50 पीएम पर दिनांक 07 व 08.06.2024 को परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने हेतु स्वतन्त्र गवाहान श्री राजीव चौधरी, श्री राकेश बैरवा व परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय आलमारी से निकाला जाकर दिनांक 07 व 08.06.2024 को रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्ड वाईस क्लिप को लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर वॉईस क्लिप का वार्ता रूपान्तरण कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की आवाज की पहचान परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने स्वयं एवं संदिग्ध आरोपी श्री सोनुराम व गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों के रिश्तेदारो/परिचितो की आवाज होना पहचान की। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से जोड़कर उसमें लगे एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की पांच खाली डीवीडी मंगवायी जाकर, पांचों डीवीडी को लेपटॉप की सहायता से खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को बारी-बारी लेपटॉप की सहायता से उक्त पांचों डीवीडी में बर्न किया गया। उक्त पांचों डीवीडी को लेपटॉप

में लगाकर रिकॉर्ड होना सुनिश्चित कर मार्क ए-1, मार्क ए-2, मार्क ए-3, मार्क ए-4, व मार्क ए-5 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। उनमें से तीन डीवीडी मार्क ए-1, एवं मार्क ए-2 एवं ए-3 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपडे़ की थैलियों में रख कर शील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गयी। डीवीडी मार्क ए-1 तथा मार्क ए-2 तथा मार्का ए-3 (आरोपी क्लोन कॉपी) को पृथक से मालखाना में जमा करवाया जायेगा तथा डीवीडी मार्क ए-4 (आईओ कॉपी) अनुसंधान हेतु तथा डीवीडी मार्क ए-5 (एडीपी कॉपी) पत्रावली के संलग्न खुली रखी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड को पृथक से प्लास्टिक कवर में डालकर माचिस की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। जिसको पृथक से मालखाना में जमा करवाया जायेगा। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् परिवादी को ट्रेप कार्यवाही के लिए संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास रिश्वती राशि का इंतजाम नहीं हुआ है, कल तक मैं रिश्वती राशि की व्यवस्था कर लुंगा तथा मेरे पास सोनूरामजी थानेदार के बार-बार फोन आ रहें है वो कह रहा है कि श्री विजय अग्रवाल की गाड़ी के कागजात कहीं से भी जल्दी प्राप्त कर मेरे पास पेश कराओ। परिवादी ने बताया कि उक्त कागजात मुकदमा नं. 350/24 पुलिस थाना हरमाड़ा से संबंधित हैं। उक्त कागजात की मैं व्यवस्था कर लूंगा, कागजातों के साथ ही वह मुझसे विश्वास करके रिश्वती राशि भी प्राप्त कर सकता है। जिस पर परिवादी को हिदायत मुनासिब कर रुखशत किया गया तथा स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत मुनासिब कर रुखशत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 11.06.2024 समय 4.00 पीएम पर ट्रेप बॉक्स में कार्यवाही में काम आने वाली आवश्यक सामग्री कांच की शीशीयां मय ढ़क्कन, नया प्लास्टिक का गिलास आदि को साबुन पानी से साफ कर ट्रेप बॉक्स में रखा गया एवं आवश्यक सामग्री भी रखी जाकर ट्रेप बॉक्स तैयार किया गया तथा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह भी संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि सहित कार्यालय में उपस्थित था, इसी दौरान स्वतंत्र गवाहान श्री राजीव चौधरी व श्री राकेश बैरवा भी कार्यालय में उपस्थित आये। कार्यालय के स्टाफ को भी मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कक्ष में तलब कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं कार्यालय स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। गोपनीय कार्यवाही में साथ रहने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने मांगने पर उसने अपने पास से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये की ही व्यवस्था होना बताकर पेश किये तथा शेष राशि के रूप में उपलब्ध भारतीय मुद्रा जैसे नजर आने वाले भारतीय मंनोरजन बैंक लिखे हुये 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये के डमी नोट मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। उपरोक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के वर्णित नम्बरों के सभी नोटों पर तथा भारतीय मुद्रा जैसे नजर आने वाले डमी नोटों पर श्री राजकुमार हैड कानि. 79 से कार्यालय आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में फिनोफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डालकर उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह की जामा तालाशी स्वतंत्र गवाह श्री राकेश बैरवा से लिवाई गई तो परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं छोड़ी गई। तत्पश्चात उक्त पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब में श्री राजकुमार हैड कानि. 79 से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटों को आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसको निकाल कर रिश्वत के रूप में देवें तथा किसी भी सूरत में आरोपी से हाथ नहीं मिलावें, केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने कान में अगुंली डालकर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] या [redacted] पर मिसकॉल कर ट्रेप पार्टी को मुकरर्र ईशारा करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि लेकर कहां रखता है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वह सहपरिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन की वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद गवाहान व परिवादी तथा परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए प्लास्टिक के एक गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की एक चम्मच डालकर घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री राजकुमार हैड कानि. 79 के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उसको तथा प्लास्टिक के गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री राजकुमार हैड कानि. 79 से गुलाबी घोल को फिकवाकर उसके हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु आदि नहीं छोडे़ गये। गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाले नये प्लास्टिक के गिलास व नई कांच की शिशीयों

को भी अच्छी तरह साफ करवाकर तथा सुखा कर ट्रेप बॉक्स में रखा गया। कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर का खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में एसडी कार्ड डालकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को सुपुर्द किया तथा परिवादी नरेन्द्र सिंह को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत दी गई। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। श्री राजकुमार हैड कानि. 79 को फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी सहित ब्यूरो कार्यालय में रहने की हिदायत की गई। परिवादी ने बताया कि सोनूराम जी थानेदार द्वारा चाहे गये श्री विजय अग्रवाल की गाड़ी के कागजातों की व्यवस्था मैंने कर ली है, जो मेरे पास मोटर साईकिल में रखे हुये है। वो कागजात भी सोनूराम जी को देने को हैं, जिसको कागजात साथ ले जाने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् समय करीब 6.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजीव चौधरी व श्री राकेश बैरवा श्रीमती राजबाला महिला कॉनि. 495 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युडी 1394 मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से थाना हरमाड़ा, जयपुर के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को भी उसकी निजी मोटर साईकिल से श्री विजय अग्रवाल की गाड़ी के कागजात सहित श्री आलोक कुमार हैड कानि. 10 के साथ, श्री रामजीलाल सहायक उप निरीक्षक के साथ श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 55, श्री शफी कानि. 173 को निजी कार से तथा श्री हरिसिंह कानि. 19, श्री बंशीधर कानि. 24, श्री मनु शर्मा कानि. 111 व श्री आशीष कानि. 208 को निजी मोटर साईकिलों से हरमाड़ा थाना से पहले नींदड़ मोड़ पर मिलने के लिए हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 7.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस सरकारी वाहन के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर हरमाड़ा थाने से पहले नीदड़ मोड़ के पास पहुंचा, जहांपर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह तथा टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद मिले। जहां पर गोपनीय रुप से संदिग्ध आरोपी श्री सोनुराम की थाना हरमाड़ा में उपस्थिति के बारे में मालूमात किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई की संदिग्ध आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत के लेनदेन एवं होने वाली वार्ता को देखने एवं सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् समय करीब 7.26 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर उसकी निजी मोटर साईकिल से श्रीमती राजबाला महिला कानि. 495 के साथ संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु थाना हरमाड़ा के लिए रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी परिवादी के पीछे-पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी पीछे-पीछे रवाना हुआ। तत्पश्चात् समय करीब 8.28 पीएम पर इस समय परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना हरमाड़ा के दाहिनी तरफ बने पुलिस क्वार्टर के गेट पर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने कान में अंगुली डालकर रिश्वत लेन देन का नियत ईषारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के क्वार्टर के गेट पर परिवादी के पास पहुंचा व डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने अपने पास खडे़ एक वर्दी पहने हुए उप निरीक्षक पुलिस की ओर ईशारा कर बताया कि यही थानेदार सोनूराम जी है। जिन्होने मेरे साले अजय सिंह राठौड के विरूद्ध पुलिस थाना हरमाड़ा में दर्ज प्रकरण में मदद करने की ऐवज में अभी-अभी मुझसे मांगने पर मैने अपने पास से 40,000/-रूपये जिनमें 25,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के तथा 15,000/-रूपये डमी नोटो की गड्डी इनको देने पर इन्होने अपने बांये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की बांई जेब में रखे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त वर्दीधारी उप निरीक्षक पुलिस जिसकी नेम प्लेट पर सोनू नाम लिखा हुआ है से उसका परिचय पूछा तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली देकर पूछने पर उसने अपना नाम सोनूराम पुत्र श्री फकीर चन्द उम्र 29 साल जाति तुरी निवासी अराईवाली पोस्ट चोहिलावाली तहसील हनुमानगढ पुलिस थाना टाउन जिला हनुमानगढ हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना हरमाडा जयपुर पश्चिम होना बताया। क्वार्टर में बैठने व कार्यवाही करने की माकूल व्यवस्था नही होने के कारण श्री सोनूराम उप निरीक्षक के दोनो हाथो को कलाईयों के उपर से जाप्ते से अलग-अलग पकड़वाकर पुलिस क्वार्टर से लेकर पुलिस थाने में आये। पुलिस थाना हरमाड़ा में प्रथम तल पर स्थित कम्प्यूटर कक्ष में थानाधिकारी की अनुमति लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंम्भ की गई तथा परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर से सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिष्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। इसके पश्चात् आरोपी श्री सोनू राम से पूछा गया कि आपने परिवादी नरेन्द्र सिंह से अभी कुछ देर पहले किस बात के रूपये लिये है। जिस पर आरोपी सोनूराम ने बताया कि श्री नरेन्द्र सिंह का साला अजय पाल राठौड एवं उसके परिवार/रिश्तेदारो के विरूद्ध पुलिस थाना हरमाडा जयपुर पश्चिम जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 350/2024 अन्तर्गत धारा 365, 384, 386, 342 व 120बी आईपीसी में दर्ज है। जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण की पत्रावली वर्तमान में न्यायालय में जमानत सुनवाई हेतु भेजी हुई है। उक्त प्रकरण में नरेन्द्र सिंह अपने साले व उसके रिश्तेदार जिनको मेरे द्वारा गिरफ्तार किया जाकर जे0सी0 करवाया गया था। श्री नरेन्द्र सिंह उक्त प्रकरण में राजीनामा करवाने के लिये मेरे पास आया व मुझसे कहा कि प्रकरण के परिवादी श्री विजय अग्रवाल से मेरे साले व उसके रिश्तेदारो का राजीनामा करवा दो तो मैने कहा कि मैं बात करके बताउंगा। मेरे द्वारा प्रकरण के परिवादी विजय अग्रवाल से बात की तो उसने राजीनामा करने की ऐवज पैसो की मांग की थी। मैने नरेन्द्र सिंह को यह बात 2-3 दिन

पहले बता दी थी। नरेन्द्र सिंह परिवादी विजय अग्रवाल को राजीनामे के पेटे देने के लिए आज कुछ देर पहले मुझे 40,000/- रूपये दिये जो मैने अपने बांये हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बांई जेब में रख लिये। इस पर मौजूद परिवादी ने आरोपी सोनूराम के स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए बताया कि ये झूठ बोल रहे है। मैं इनके पास दिनांक 7 व 8.6.2024 को आपके कार्यालय के कर्मचारी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु थाने पर आया तो इन्होने मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मेरे साले व उसके रिश्तेदार कुल 6 लोग जो फिलहाल जे0सी0 में है। जिनका प्रकरण के परिवादी विजय अग्रवाल से राजीनामा करवाने , उक्त मुकदमा में अपराध की धारायें कम लगाने, 395 आईपीसी नहीं लगाने व गिरफ्तार किये हुये मेरे साले व अन्य व्यक्तियों को पीसी के दौरान आराम से रखने, मारपीट न करने, मुकदमें में जमानत कराने, सजा नहीं होने देने की ऐवज में प्रति व्यक्ति 40,000/-रूपये के हिसाब से कुल 2 लाख 40 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की तथा एक व्यक्ति की स्थिति कमजोर होने के कारण उससे पैसे नही लेने तथा शेष 5 व्यक्तियों के कुल 2 लाख रूपये की मांग की थी। मांग की ऐवज में मैने मेरे साले अजयसिंह के हिस्से के 40,000/-रूपये इनके मांगने पर आज इनको रिश्वत के रूप में देकर आपको ईशारा कर दिया। इस पर पुनः आरोपी सोनूराम से पूछा गया तो वह कुछ नही बोला और गर्दन नीची कर ली। इसके पश्चात् परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के गिलासो मे पुलिस थाने से बोतल में स्वच्छ पानी मगवाकर उनमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण के एक गिलास मे आरोपी सोनूराम के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण के गिलास में आरोपी सोनूराम के बांये हाथ की अगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री सोनूराम की जामा तलाशी गवाह श्री राजीव चौधरी से लिवाई गई तो पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांई जेब से एक नोटों का बण्डल मिला । जिसे दोनो गवाहान से कार्यालय बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने वो ही नोट जिनमें प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये तथा उपलब्ध भारतीय मुद्रा जैसे नजर आने वाले भारतीय मंनोरजन बैंक लिखे हुये 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये के डमी नोट कुल 40,000/-रूपये है। उक्त बरामद शुदा 40,000/-रिश्वती नोटो को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जेब का धोवन लेने हेतु आरोपी के क्वाटर से एक लोवर व टी-शर्ट मंगवा कर आरोपी सोनूराम की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट शर्ट को उतरवाकर लोवर व टी-शर्ट पहनावाया गया तथा आरोपी सोनूराम की पेन्ट की सामने की बांई जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद हुई को उलटावकर उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् पेन्ट की जेब को सुखावकर जेब पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी सोनूराम के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी सोनूराम के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री सोनूराम तथा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह से श्री विजय अग्रवाल की गाड़ी से संबंधित कागजातों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रथम तल अनुसंधान कक्ष कमरा नं. 10 के अन्दर दरवाजे के पास रखी टेबिल के ऊपर वाली दराज में रखा होना बताया। परिवादी ने बताया कि रिष्वती राषि लेने से पहले जब मैं सोनूराम के पास थाने में अन्दर आकर मिला तो उसने बातचीत के दौरान उक्त कागजात लेकर इस दराज में रख लिये। जिस पर स्वतन्त्र गवाह के समक्ष उक्त दराज को खोला तो बताये अनुसार वाहन कार रजि. सं. आरजे 45 सीआर 5590 की इन्वाइस समरी श्री विजय अग्रवाल के नाम, एक पासपोर्ट साईज फोटो, फार्म नं. 29 व 30 दो-दो प्रतियों में जिस पर हस्ताक्षर के स्थान पर विजय अग्रवाल लिखा है, श्री विजय अग्रवाल के आधार कार्ड की प्रति व श्री विजय अग्रवाल के पेन कार्ड की प्रति हस्ताक्षरषुदा था और 500 रुपये के स्टाम्प नम्बर एए450196 पर मुख्तयारनामा खास मय पाई पेपर, 100 रुपये के स्टाम्प नम्बर बीटी316542 पर इकरारनामा वाहन बेचान मय पाई पेपर मिले। परिवादी ने उक्त दस्तावेज की आवष्यकता होना बताया, जिस पर उक्त समस्त दस्तावेज की छायाप्रति करवाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कुल 13 पृष्ठ शामिल पत्रावली किये गये तथा उक्त दस्तावेजात परिवादी को पूर्वानुसार मुनासिब हिदायत कर लौटाये गये। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। टेबल

की दराज में मिले विजय अग्रवाल की कार के दस्तावेजों को रखने के संबंध में आस-पास मौजूदा थानाजात के पुलिस कर्मियों से जानकारी चाही तो उन्होंने इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अभियोग सं. 350/2024 थाना हरमाड़ा की अनुसंधान पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति तथा पुलिस थाना हरमाड़ा परिसर में सीसीटीवी लगे कैमरे के दिनांक 11.06.2024 के फुटेज व मूल स्रोत सुरक्षित हालात में रखने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाड़ा को पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 9.40 पीएम पर आरोपी श्री सोनूराम उप निरीक्षक को दिनांक 07.06.24 व 08.06.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन तथा दिनांक 11.06.2024 को वक्त रिश्वती लेन-देन परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व आपके मध्य हुई वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था जिसमें उसकी व परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन की वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज का नमूना आवाज देने बाबत रूबरू गवाहान के समक्ष पूछने पर आरोपी श्री सोनूराम ने अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया। जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय करीब 10.15 पीएम पर आरोपी श्री सोनूराम पुत्र श्री फकीरचंद, जाति तुरी, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम अरांइंयावाली, पोस्ट आफिस चोहिलावाली, तहसील हनुमानगढ़, थाना टाउन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान हाल ब्लॉक 17, 1/2, प्रथम तल, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना हरमाड़ा (पश्चिम) जयपुर को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जरिये पत्र थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाड़ा ने अवगत कराया कि प्रकरण सं. 350/24 की मूल पत्रावली जमानत हेतु न्यायालय एडीजे क्रम सं. 10 मुख्यालय चौमू, जयपुर में भिजवाई गई है, जहां से पत्रावली प्राप्त कर प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करा दी जायेगी। तत्पश्चात् परिवादी नरेन्द्र सिंह की निशादेही पर घटना स्थल का फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार तैयार किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 12.06.2024 को समय करीब 1.00 एएम पर मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्य, शिल्डशुदा आर्टिकल्स मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सोनूराम को साथ लेकर सरकारी वाहन मय चालक के मौके से रवाना होकर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हुए ब्यूरो कार्यालय आया। तत्पश्चात् परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 11.06.2024 को रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व आरोपी श्री सोनूराम के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन की रिकॉर्ड वार्ता को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की आवाज की पहचान परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने स्वंय एवं आरोपी सोनूराम की आवाज होना पहचान की। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से जोड़कर उसमें लगे एसडी कार्ड/मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की 5 खाली डीवीडी मंगवाई जाकर पांचो डीवीडी को लेपटॉप की सहायता से खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे एसडी कार्ड/ मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को बारी-बारी लेपटॉप की सहायता से उक्त पांचों डीवीडी में बर्न किया गया। उक्त पांचों डीवीडी को लेपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड होना सुनिश्चित कर मार्क बी-1, मार्क बी-2, मार्क बी-3, मार्क बी-4, व मार्क बी-5 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। उनमें से तीन डीवीडी मार्क बी-1, एवं मार्क बी-2 एवं बी-3 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपडे़ की थैलियों में रख कर शील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई तथा तथा मार्क बी-4 (आईओ कॉपी) अनुसंधान हेतु तथा सीडी मार्क बी-5 (एडीपी कॉपी) पत्रावली के संलग्न खुली रखी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड को पृथक से प्लास्टिक कवर में डालकर माचिस की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री सोनूराम पुत्र श्री फकीरचंद, जाति तुरी, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम अरांइंयावाली, पोस्ट आफिस चोहिलावाली, तहसील हनुमानगढ़, थाना टाउन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान हाल ब्लॉक 17, 1/2, प्रथम तल, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना हरमाड़ा को लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमण से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री नरेन्द्र को मुकदमा नं. 350/2024 थाना हरमाड़ा में अपराध की धारायें कम लगाने, 395 आईपीसी नहीं लगाने व गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों को पीसी के दौरान आराम से रखने, मारापिटी न करने, मुकदमें में जमानत कराने, सजा नहीं होने देने तथा मुकदमें में राजीनामा करवाने की ऐवज में 40,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 11.06.2024 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान प्रचलित भारतीय मुद्रा के 25,000 रूपये तथा 15,000 रूपये के डमी नोट (कुल 40,000 रुपये) रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सोनूराम पुत्र श्री फकीरचंद, जाति तुरी, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम अरांइंयावाली, पोस्ट आफिस चोहिलावाली, तहसील हनुमानगढ़, थाना टाउन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान हाल ब्लॉक 17, 1/2, प्रथम तल, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना हरमाड़ा पश्चिम, जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय, (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–प्रथम ने प्रेषित

की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में आरोपी श्री सोनूराम पुत्र श्री फकीरचंद, निवासी ग्राम अरांइयावाली, पोस्ट आफिस चोहिलावाली, तहसील हनुमानगढ़, थाना टाउन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान हाल ब्लॉक 17, 1/2, प्रथम तल, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना हरमाड़ा (पश्चिम) जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री रजनी मीणा, पुलिस निरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 184 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 586-89 दिनांक 12.06.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या -1 जयपुर। 2 पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJNI MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/06/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)